

**आदर्श योजना विभाग
संस्कृत संवर्धन की योजना
अन्तर्गत**

**केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली
संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित**

56-57, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

विज्ञापन संख्या: 01/2026

दिनांक: 28.01.2026

भर्ती की अधिसूचना 01/2026

संस्कृत संवर्धन के लिए भारत सरकार की केंद्रीय योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली (CSU) कार्यरत है। केंद्रीय योजनाओं में से एक, अर्थात् "आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों (ASMs) / आदर्श संस्कृत शोध संस्थानों (ASSSs) के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थानों को वित्तीय सहायता की योजना (संशोधित आदर्श योजना-2022)" के अंतर्गत, देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न संस्थानों को वित्तीय सहायता के लिए ASM/ASSS के रूप में मान्यता दी गई है। इस संदर्भ में, इस योजना में निहित प्रावधानों के अंतर्गत, देश के विभिन्न भागों में स्थित मान्यता प्राप्त ASMs/ASSSs में निम्नलिखित गैर शैक्षणिक अन्य शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

पदों का नाम एवं स्तर (7वें वेतन आयोग के अनुसार)	पदों की संख्या	आरक्षण, पात्रता, योग्यता एवं अन्य आवश्यक शर्तें
कॉलेज लाइब्रेरीयन (शैक्षणिक स्तर-10)	04	पात्रता मानदंड, योग्यता, आयु सीमा, क्षेत्रवार भर्ती प्रक्रिया, रिक्तियों का संस्थावार विभाजन, आरक्षण तथा अन्य आवश्यक शर्तें एवं आवेदन प्रक्रिया इत्यादि का विवरण विस्तृत अधिसूचना में उपलब्ध है। यह अधिसूचना सीएसयू (CSU) की वेबसाइट www.sanskrit.nic.in पर Recruitment/Notification (भर्ती/अधिसूचना) शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है साथ ही संबंधित संस्था की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
अनुभाग अधिकारी (स्तर 7)	01	
सहायक (स्तर 6)	15	
प्रोफेशनल असिस्टेंट (स्तर 6)	01	
यूडोसी (स्तर 4)	02	
एलडोसी (स्तर 2)	20	

आवेदन की प्रारंभिक तिथि 28.01.2026 है तथा विज्ञापन की अंतिम तिथि 27.02.2026 को रात 11.30 बजे (IST) तक है।

यह विज्ञापन उन 19 अनुदान प्राप्त आदर्श संस्थानों की ओर से केवल एक संक्षिप्त अधिसूचना है, जो संबंधित चयनित उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी हैं। अतः इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी आवश्यक जानकारी के लिए विस्तृत विज्ञापन देखें।

CBC 21212/12/0004/2526

हस्ता./-
कुलसचिव (प्र.)